समाहरणालय, पटना

(जिला कल्याण कार्यालय, पटना)

संशोधित पुनर्निविदा

निविदा सूचना संख्या:- 03/2018-19

पटना जिला अन्तर्गत संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेदकर +2 आवासीय विद्यालय, पुनपुन/पिपलावाँ/गायघाट एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय विद्यालय, कदमकुआँ/मोकामा एवं छात्रावास में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पठन-पाठन एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित आपूर्ति कर्ताओं/वितरकों/विक्रेताओं से विभिन्न प्रकार के मानकों अनुरुप पठन-पाठन एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु दिनांक- 11/06/2018 को 01:00 बजे तक निविदा का आमंत्रण किया गया था। संबंधित निविदा में किसी भी निविदादाता का तकनीकि निविदा सफल नहीं होने के कारण पुनः संशोधित सूची के अनुसार मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय/तकनीकि निविदा अलग-अलग मुहर बंद लिफाफे में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक- ....28/7/18.... को 2:00 बजे अपराह्न तक जिला कल्याण कार्यालय, पटना में निबंधित डाक/कुरियर/स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष निवदा उप विकास आयुक्त, पटना के सभागार, में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

आपूरित की जानेवाली सामग्रियों की संशोधित सूची कार्यालय, जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना से कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर अथवा www.patna.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा की आवश्यक शर्तें:-

क) तकनीकि निविदा

1. संस्थान का पंजीकरण (Registration) दूकान एवं प्रतिष्ठान संबंधी / उद्योग विभाग से होना चाहिए।
2. जी.एस.टी. (GST) पंजीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र, अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी विवरणी। साथ ही, निविदादाता को तीन वर्ष का आयकर रिटर्न (आयकर विभाग को ऑन-लाईन प्रेषित डाउनलोडेड प्रति) एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता के आयकर रिटर्न में कम-से-कम एक करोड़ का लेन-देन (Turnover) सलाना होना चाहिए। इस आशय का एक शपथ पत्र, जो कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय से निर्गत हो भी संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता पर फोजदारी/दिवानी मामला में कोई मामला दर्ज नहीं हो एवं काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को अग्रधन राशि के रुप में मो0- 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के नाम से देय होगा, को जमा करना होगा। अनुमोदित निविदादाता का अग्रधन राशि दर अनुमोदन पश्चात जमानत राशि के रुप में जमा रहेगा। वैसे निविदादाता जिनका चयन नहीं होगा उनका अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
6. निविदादाता को कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र देना होगा।
7. निविदा में संलग्न किये गये सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं पृष्टांकित होना अनिवार्य है।

ख) वित्तीय निविदा

1. तकनीकि निविदा में सफल होने के उपरान्त हीं संबंधित वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।
2. सामग्री के विहित विशिष्टीकरण के अनुरुप हीं विशिष्टीकरण का उल्लेख करते हुए वित्तीय निविदा स्वीकार किया जायेगा।
3. वित्तीय निविदा में अंकित की गई दर जी.एस.टी. (GST) सहित अंकित करना होगा।

ग) अन्य शर्तें

1. निविदादाता को वित्तीय निविदा खोले जाने के समय सामग्रियों का नमूना जमा करना होगा।
2. क्षतिग्रस्त सामग्री क्रय नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत निविदादाता को सामग्री आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
4. अनुशंसित विद्यालयों/छात्रावासों में सामग्री पहुँचाने हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन भाड़ा देय नहीं होगा।
5. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर संबंधित विद्यालयों/छात्रावासों में सामग्री स्वीकृत नमूना अनुरुप आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा तदनुरुप भुगतान विपत्र से 10 (दस) प्रतिशत राशि काट ली जायेगी तथा एक माह तक आपूर्ति नहीं किए जाने पर एकरारनामा रद्ध करते हुए अन्य चयनित निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत की जायेगी।
6. न्यूनतम दर दाता द्वारा सामान की आपूर्ति नहीं करने पर द्वितीय न्यूनतम दाता को नियमानुसार आपूर्ति आदेश निर्गत की जायेगी।
7. क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर सहमति के आधार पर एक से अधिक निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा सकता है।
8. बिना कारण बताये सभी निविदाओं अथवा आंशिक निविदा को स्थगित करने या रद्ध करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए www.prdbihar.gov.in पर सम्पर्क करें।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पटना
15/6/18

Adityakumar 19/7/18
उप विकास आयुक्त
पटना